चतुर्थ अति0मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी – विवेक कुमार वर्मा)

दावा प्रकरण क्रमांक– 54/2009
सी.आई.एस. नंबर 01/2018
संस्थित दिनांक– 06.04.2009

1. श्रीमती फुलेश्वरी निषाद, उम्र 22 वर्ष
   पति स्व. हेमन्त निषाद,
2. कु. साक्षी, उम्र 1 वर्ष,
   पिता स्व. हेमन्त निषाद,
3. श्रीमती रूकमणी बाई, उम्र 42 वर्ष,
   पति श्री कृष्ण मुरारी निषाद,
4. कृष्ण मुरारी निषाद, उम्र 46 वर्ष,
   पिता श्री लखन लाल निषाद,
   नाबालिक आवेदिका कं. 2 के लिये
   संरक्षकवली मॉ आवेदिका कं. 1
   सभी निवासी– ग्राम सोण्डरा,
   थाना धरसींवा, जिला – रायपुर (छ0ग0) ------ **आवेदिकागण**

// विरूध्द //

1. मोह. नईम उम्र 50 वर्ष,
   पिता मोह. ताहिद, पेशा ड्राइवरी
   निवासी ढीमरापुर चौक रायगढ़
   तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)
   अन्य पता मोह. जमालुद्दीन दम्मानी
   पेट्रोल पम्प के पास भनपुरी, रायपुर छ.ग.
   (वाहन क्रमांक सी जी 04 जे ए 8674 का चालक)
2. मोह. जमालुद्दीन, दम्मानी
   पेट्रोल पम्प के पास भनपुरी, रायपुर छ.ग.
   (वाहन क्रमांक सी जी 04 जे ए 867 का स्वामी)
3. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
   द्वारा प्रबंधक/ सक्षम अधिकारी,
   श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,
   कार्यालय एम पी नगर भोपाल म.प्र. ---------- **अनावेदकगण**
   (वाहन क्रमांक सी जी 04 जे ए 8674 का बीमाकर्ता)

आवेदकगण की ओर से श्री व्ही.आर. साहू अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक क्रमांक– 1 एवं 2 अनुपस्थित।
अनावेदक क्रमांक– 3 व्दारा श्री दीपेश थवाईत अधिवक्ता उप.।

// अधिनिर्णय //
(आज दिनांक 29.01.2018 को पारित)

(01) आवेदिकागण ने अनावेदकगण के विरुद्ध धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत यह क्षतिपूर्ति दावा, वाहन दुर्घटना दिनांक 04.03.2009 के कारण हेमंत निषाद की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप अनावेदकगण से उनके संयुक्त तथा पृथक–पृथक दायित्व के अंतर्गत कुल मिलाकर कुल 20,70,000/– (बीस लाख सत्तर हजार रूपये) क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

(02) इस दावा प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि इस प्रकरण मे दशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रायपुर के द्वारा दिनांक 26.02.2010 को अवार्ड पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध उभयपक्षो के द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय अपील प्रस्तुत किया गया था। माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा मि.अपील (सी) नं. 860/2010, मि.अपील (सी) नं. 832/2010, एवं मि.अपील (सी) नं. 847/2010 में संयुक्तः पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के द्वारा इस प्रकरण में पूर्व पारित अवार्ड दिनांक 26.02.2010 को अपास्त किया गया है, तथा अनावेदक बीमा कंपनी को चालक अनुज्ञप्ति के संबंध में साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् पुनः अवार्ड पारित

किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के पालन में प्रकरण के पुनः विचारण के दौरान अनावेदक बीमा कंपनी को अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(03) इस दावा प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है कि दुर्घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन कमांक ''सी जी 04 जे ए 8674'' अनावेदक कमांक–2 के स्वामित्व में थी, उसे अनावेदक कं.–1 के द्वारा चलाया जा रहा था तथा उक्त वाहन अनावेदक कमांक–3 द्वारा बीमित थी।

(04) आवेदिकागण का क्षतिपूर्ति दावा आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है, कि दुर्घटना दिनांक 04.03.2009 को लगभग 07:30 बजे रात्रि के समय पुलिस थाना सिमगा जिला रायपुर छ.ग. के अधीनस्थ राष्ट्रीय राज मार्ग कं. 200 पर गरड़िया नाला, बेमता के पास अनावेदक कं.–1 ने वाहन कमांक ''सी जी 04 जे ए 8674'' को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटर सायकल नं. ''सीजी 04 एल आर 1106'' को ठोकर मार दिया जिसके परिणाम स्वरूप मोटर सायकल चालक हेमंत निषाद एवं पीछे बैठे रोशन लाल निषाद की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना सिमगा, जिला रायपुर में दर्ज करायी गयी थी।

(05) आवेदिकागण का क्षतिपूर्ति दावा आवेदन आगे इस प्रकार है कि, दुर्घटना के समय मृतक हेमन्त निषाद 23 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति

था, और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। हेमंत निषाद के असामयिक मृत्यु से पूरे परिवार को गहरा मानसिक आघात लगा है। दुर्घटना के समय मृतक हेमंत निषाद ड्राइवरी के साथ 7 एकड़ कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता था जिससे वार्षिक 1,00,000/– रूपये आय अर्जित करता था, जिसे स्वयं पर तथा अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु खर्च करता था। आवेदिकागण ने हेमंत निषाद की मृत्यु उक्त दुर्घटना में होने से विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करते हुए कुल रूपये 20,70,000/– की क्षतिपूर्ति अनावेदकगण से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

(06) अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 की ओर से जवाबदावा पेश कर, दावा आवेदन के समस्त अभिवचनों का खण्डन करते हुये, मुख्य रूप से यह अभिवचन किया है कि घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन क्रं. ''सीजी 04 जे ए 8674'' का चालक अनावेदक क्रं.–1 एवं पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रं.–2 एवं बीमाकर्ता अनावेदक क्रं.–3 थे तथा आवेदन पत्र के शेष तथ्यों को उनके द्वारा पूर्णतः इंकार किया गया है और अतिरिक्त कथन किया गया है कि वाहन क्रं. ''सीजी 04 जे ए 8674'' के चालक अनावेदक क्रं.–1 के पास घटना दिनांक एवं समय पर वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लायसेंस था तथा घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रं.–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था, इसलिए आवेदकगण को यदि कोई क्षतिपूर्ति की राशि दिलायी जाती है तो उक्त क्षतिपूर्ति राशि देने का उत्तरदायी अनावेदक क्रं.–3 की बीमा कंपनी को

है। अतः अनावेदक कं.-1 एवं 2 के विरूद्ध आवेदिकागण का क्षतिपूर्ति आवदेन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(07) अनावेदक कमांक-3 की ओर से जवाबदावा पेश कर, दावा आवेदन के समस्त अभिवचनों का खण्डन करते हुये, मुख्य रूप से यह अभिवचन किया है, कि दावा आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है। घटना दिनांक को वाहन कं. ''सीजी 04 जे ए 8674'' के चालक अनावेदक कं.-1 के पास वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी उक्त क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। उनके द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि वाहन कं. ''सीजी 04 सीआर 1106'' के चालक हेमंत निषाद के पास मोटर सायकल चलाने हेतु वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लायसेंस नहीं था और उक्त दुर्घटना हेमंत निषाद के लापरवाही के कारण घटी थी, इसलिए भी उनकी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। उक्त मोटर सायकल के चालक स्वामी एवं बीमाकर्ता जो कि आवश्यक पक्षकार थे को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। अतः आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा आवेदन पत्र को अनावेदक कमांक-3 के विरूद्ध सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(08) उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर इस प्रकरण में पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नांकित वादप्रश्न विरचित किये गये हैं,

जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सम्मुख निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं :–

क0	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या घटना दिनांक 04.03.2009 को वाहन कं. ''सीजी 04 जे ए 8674'' के चालक अनावेदक कं. –1 ने उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चला कर मोटर सायकल कं. ''सीजी 04 सी आर 1106'' को ठोकर मारा जिससे मोटर सायकल में सवार हेमंत निषाद की मृत्यु हो गयी ?	**"हॉ"**
2.	क्या उक्त घटना दिनांक को अनावेदक कं.–1 के पास उक्त वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावशील ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था ?	**"प्रमाणित नहीं"**
3.	क्या प्रकरण में मोटर सायकल के स्वामी एवं बीमा कर्ता आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण दावा प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है ?	**"प्रमाणित नहीं"**
4.	क्या उक्त घटना दिनांक को उक्त मोटर सायकल चालक हेमंत के पास उक्त मोटर सायकल को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावशील ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, यदि हॉ तो प्रभाव ?	**"प्रमाणित नहीं"**
	क्या आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्त तथा पृथक पृथक रूप से कुल क्षतिपूर्ति राशि 20,70,000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है ?	**"हॉ"**आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्तत : एवं पृथकतः कुल प्रतिकर की राशि 7,50,400/– रूपये (सात लाख, पचास हजार चार सौ रूपये) प्राप्त करने के अधिकारी है।
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	आवेदक का दावा आवेदन कंडिका कं. 26 के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकृत।

(09) आवेदिका की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं आवेदिका श्रीमती फुलेश्वरी निषाद (आ0सा0–1), अवधराम निषाद (आ0सा0–2) का परीक्षण कराया गया है एवं अनावेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

// निष्कर्ष एवं कारण //

वादप्रश्न कमांक–1 पर निष्कर्ष :–

(10) प्रकरण में प्रश्नगत वाहन कं. ''सी जी 04 जे ए 8674'' को घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अनावेदक कमांक–1 द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाने के तथ्य के संबंध में आवेदिका श्रीमती फुलेश्वरी निषाद (आ.सा.–1) जो कि मृतक हेमंत निषाद की पत्नी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में सकारात्मक साक्ष्य दिया है, परंतु प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा मौके पर उपस्थित नहीं होना स्वीकार किया है। आवेदिका के द्वारा मुख्य परीक्षण में अनावेदक कं.–1 द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना होना बताया है उसका यह साक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति का साक्ष्य है जिससे इस बिन्दू पर उसकी साक्ष्य सारहीन हो जाती है। अतः श्रीमती फुलेश्वरी निषाद के साक्ष्य से इस बिन्दू पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।

(11) आवेदिका पक्ष ने घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अवधराम निषाद (आ.सा.–2) का कथन कराया गया है, जिसने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह हेमंत और रोशन अलग अलग मोटर सायकल में सिमगा गये थे, सिमगा से वे लोग वापस आ

रहे थे। तभी रास्ते में ग्राम बेमता के गड़रिया नाला के पास एक ट्रक क्रमांक ''सीजी 04 जे ए 8674'' के चालक ने ट्रक को अत्यधिक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चला कर रॉग साइड में आकर मोटर सायकल को ठोकर मार दिया। उक्त मोटर सायकल को हेमंत कुमार चला रहा था और पीछे में रोशन बैठा हुआ था। उक्त दुर्घटना शाम के लगभग 07:30 बजे हुई थी। ठोकर लगने से मोटर साइकिल चालक एवं पीछे बैठे दोनों व्यक्ति हेमंत एवं रोशन की चोट लगने के कारण दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। दोनों के सिर एवं पीठ की ओर गंभीर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दुर्घटना, ट्रक के लापरवाही से घटित हुयी, मृतक लोग अपने साईड से चल रहे थे। दुर्घटना की रिपोर्ट उसने स्वयं थाना सिमगा में लिखाया था। चश्मदीद साक्षी के इन कथनो का कोई सारवान खण्डन नहीं हुआ है।

(12) प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी घटना के समय मृतकगण के मोटर सायकल के आगे आगे चलना और दुर्घटना की आवाज आने पर मौके पर अन्य व्यक्ति के पहुंचने के बाद आना के तथ्य से इन्कार किया गया है। इस चश्मदीद गवाह के द्वारा, अनावेदक क्रमांक-1 के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाये जाने के कारण उक्त दुर्घटना होने के संबंध में दी गयी, साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः अखंडित रहा है। इस प्रकार साक्षी अवधराम निषाद (आ0सा0-2) की साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से वाद प्रश्न क्रमांक 1 अभिलेख पर स्थापित हुआ है।

(13) मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त आवेदिका द्वारा अभिलेख पर आपराधिक प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी.–01 से लगायत प्रदर्श पी.–10 तक प्रस्तुत किये गये है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना में अन्तर्वलित वाहन के रूप में ट्रक कं. ''सीजी 04 जे ए 8674'' उल्लेखित है तथा अपराध अन्तर्गत धारा 304 (अ) भारतीय दंड संहिता, आरक्षी केन्द्र सिमगा, जिला रायपुर में अप0कं0 69/09 के रूप में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध दर्ज है, एवं इस आपराधिक प्रकरण मे अनावेदक क्रमांक 1 की लापरवाही से ही दुर्घटना होना उल्लेखित है, और मृतक के रूप में हेमंत तथा रोशन का नाम उल्लेखित है। इस प्रकार आपराधिक प्रकरण के प्रपत्रों से भी अनावेदक क्रमांक 1 की लापरवाही से दुर्घटना घटित होना स्थापित होता है।

(14) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 04.03.2009 को अनावेदक क्रमांक–1 ने वाहन क्रमांक ''सीजी 04 जे ए 8674'' तेजी एवं लापरवाही से चलाकर कर हेमंत की मोटर सायकल को ठोकर मार दिया जिससे हेमंत निषाद की मृत्यु कारित हुई। अतः वाद प्रश्न क्रमांक–1 का निष्कर्ष **"हाँ"** में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक– 2 पर निष्कर्ष :–

(15) इस वाद प्रश्न की रचना अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी के अभिवचन के आधार पर की गयी है तथा इन्हें प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक–3 पर था, परंतु अनावेदक क्रमांक–1 के पास वैध एवं प्रभावशाली ड्राइविंग लायसेंस नहीं होने के संबंध में बीमा कंपनी की

ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अपराधिक प्रकरण क्रमांक 219/09 थाना सिमगा से संबंधित दस्तावेज के जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–5 के अनुसार दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक का ड्राइविंग लायसेंस को जप्त किया गया है, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.–05 में यह भी उल्लेखित है कि अनावेदक क्रमांक–1 आधिपत्य से जप्त की गयी ड्राइविंग लायसेंस की मूल प्रति, आर.टी.ओ. कार्यालय गाड़ीखमा हरमू रांची से जारी की गयी है, ड्राइविंग लायसेंस का क्रमांक 1255/83 है जो दिनांक 10.06.2010 तक वैध है। इसका भी कोई खंडन बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के पालन में अनावेदक को साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक–2 का निष्कर्ष **''प्रमाणित नहीं''** में अंकित किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक–3 पर निष्कर्ष :–

(16) अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में दुर्घटनाग्रस्त मोटरसायकल के स्वामी एवं बीमाकर्ता प्रकरण के आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हे पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण यह दावा प्रकरण प्रचलनशील नहीं है, पंरतु दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक–1 ने वाहन क्रमांक ''सीजी 04 जे ए 8674'' तेजी एवं लापरवाही से चलाकर कर, मृतक की मोटर सायकल को ठोकर मार कर

दुर्घटनाग्रस्त किया था। वाहन कमांक ''सीजी 04 जे ए 8674'' के स्वामी एवं बीमाकर्ता के लिये मृतक, तृतीय पक्षकार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटर दुर्घटना के प्रकरणों में आवेदक को बाध्य नहीं किये जा सकता कि वह किस वाहन के बीमाकंपनी के विरुद्ध दावा आवेदन प्रस्तुत करें। जब तक स्पष्टतः योगदायी उपेक्षा प्रमाणित नही हों, आवेदक किसी भी बीमाकंपनी के विरुद्ध अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में आवेदकगण के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियो को सम्मिलित करते हुये आवेदन पेश किया गया है। अतः मोटर सायकल के स्वामी और बीमाकर्ता को पक्षकार नहीं बताये जाने मात्र के आधार पर प्रकरण को अप्रचलनशील नहीं माना जा सकता। अतः वादप्रश्न कमांक 3 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' में दिया जाता है।

वादप्रश्न कमांक-4 पर निष्कर्ष :-

(17) इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक कमांक-3 बीमा कंपनी पर है, पंरतु दुर्घटनाग्रस्त मोटरसायकल के चालक के पास वैध एवं प्रभावशीन वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं होने के संबंध में अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा अभिवचन के अतिरिक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण की ओर से मृतक हेमंत निषाद का ड्राइविंग लाइसेंस नं. एच/5965/आर प्रदर्श पी-11 प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 23.02.2007 से 22.02.2027 तक प्रभावशील होना दर्शित

हो रहा है। इस चालन अनुज्ञप्ति को कोई खण्डन अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से नहीं किया गया है। अतः अतः वादप्रश्न क्रमांक 4 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' में दिया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक–5 पर निष्कर्ष :–

(18) आवेदिका श्रीमती फुलेश्वरी निषाद (आ0सा0–1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि, उसके पति हेमंत निषाद की उम्र दुर्घटना के समय 27 वर्ष थी, परंतु आवेदिका की ओर से मृतक हेमंत निषाद के उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है। प्रकरण में प्रस्तुत पी.एम. रिपोर्ट में मृतक की आयु 25 वर्ष बतायी गयी है। अतः अन्य दस्तावेज के अभाव मे पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर घटना दिनांक को मृतक की आयु 25 वर्ष होना पाया जाता है।

(19) आवेदिका श्रीमती फुलेश्वरी निषाद (अ0सा01) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि, उसके पति हेमंत निषाद दुर्घटना के समय, ड्रायवर का कार्य कर 5,000/– रूपये मासिक एवं कृषि का कार्य भी करते थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी की स्वीकृति है कि उसने अपने पति के आय के संबंध में प्रदर्श पी–14 के अतिरिक्त कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है। प्रदर्श पी–14 को जारी करने वाले साक्षी अवधराम निषाद (आ.सा.2) ने बताया है कि हेमंत निषाद उसके ''ट्रेक्टर कं. सीजी 04 1917'' में ड्रायवरी का कार्य करता था जिसे वह प्रति

माह 4500/– रूपये वेतन देता था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है, कि मृतक के मृत्यु के पूर्व उनके यहां काम करता था ऐसा कोई दस्तावेज उसने पेश नहीं किया है तथा प्रदर्श पी–14 का दस्तावेज उसने मृतक के मृत्यु के बाद बनाया है, जिससे इस साक्षी के कथन और उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रदर्श पी–14 के दस्तावेज से मृतक की आय 4500/– प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अवधराम निषाद (आ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह भी स्वीकार किया है कि मृतक हेमंत उसका भतीजा था। अपने ही भतीजे को अपने यहां वेतनभोगी ड्राइवर के रुप में नियोजित किया जाना भी वास्तिविकता से परे होना प्रतीत होता है। अतः आवेदिका पक्ष इस प्रकरण में मृतक की आय को सारवान एवं सुसंगत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये युक्तियुक्त रूप से अभिलेख पर स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहे है।

(20) आवेदिका के द्वारा मृतक की आय के संबंध में निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है। अतः उसकी आय नोशनल मानकर प्रकरण कर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना होगा। मृतक हेमंत निषाद की मृत्यु दिनांक 04.03.2009 को हुई। वर्ष 2009 में हुई मृत्यु के संबंध में विभिन्न न्यायदृष्टांतो मे नोशनल आय 3000/–रुपये मानकर मुआवजा राशि की गणना की गई है। अतः इस आधार पर मृतक की नोशनल आय ₹3,000/– रूपये माना जाना उचित होगा। उक्त परिस्थितियों में ‘‘नोशनल आय‘‘ के आधार पर मृतक की मासिक

आय रूपये ₹3,000/– प्रतिमाह मानते हुये आश्रितता की हानि की गणना करना होगा और यह आय वार्षिक संदर्भो में रूपये ₹36,000/– रूपये होती है। आवेदकगण, जिन्हें आश्रित माना जाए तो उनकी संख्या 4 है। *''सरला वर्मा एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य 2009 ए.सी.जे. 1928''* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आश्रितों की संख्या 4–6 के मध्य होने पर मृतक के स्वयं के मद में 1/4 अंश कटौती किया जाना है। मृतक द्वारा स्वयं पर 1/4 भाग अर्थात ₹9,000/– रूपये वार्षिक खर्च किया जाना अवधारित करते हुये शेष राशि ₹27,000/– रूपये आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता की राशि निर्धारित की जाती है।

(21) मृतक की आयु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्ष होना उल्लेखित है, जिसका कोई खण्डन नहीं हो सका है। अतः मृतक की आयु 21–25 वर्ष की आयु वर्ग में रखा जा सकता है। जिसके लिए *''सरला वर्मा एवं अन्य (उपरोक्त)''* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मृतक की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य होने के आधार पर 18 का गुणांक लगाना उपयुक्त होगा। अतः आवेदिका की आश्रितता की कुल हानि 27,000 x 18 = ₹4,86,000/– रूपये (चार लाख, छयासी हजार रूपये) होती है।

(22) भविष्य की आय की संभावना, के सबंध मे *''नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य 2009 एस.एल. पी.(सिविल) नं.– 25590/2014 निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर 2017''* के

मामले में अवधारित किया गया है कि स्वनियोजित व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रदाय की जावेगी। उक्त आधार पर 40 प्रतिशत की राशि ₹1,94,400/– रूपये होता है। *''नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य (उपरोक्त)''* मे अवधारित निर्देशानुसार अंत्येष्ठी के मद में ₹15,000/– रूपये, सहचर्य की हानि के मद में ₹40,000/– रूपये एवं संपदा की हानि के मद मे आवेदिकागण को ₹15,000/– रूपये की राशि देना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार आवेदकगण को सभी मदों में कुल क्षतिपूर्ति की राशि ₹7,50,400/– रूपये (सात लाख, पचास हजार चार सौ रूपये) दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त राशि का तालिकानुसार वर्णन निम्नानुसार हैः–

कं.	मद	राशि
1	वार्षिक आय	36,000
2	स्वयं के खर्च के मद मे कटौती 1/4 भाग	9,000
3	वार्षिक आश्रितता (1–2)	27,000
4	मृतक की आयु 25 वर्ष होने के आधार पर 18 का गुणांक (27,000 x 18)	4,86,000
5	भविष्य की आय की संभावना 25 प्रतिशत (4,86,000 x 40 प्रतिशत)	1,94,400
6	अंत्येष्ठी के मद में	15,000
7	सहचर्य के मद में	40,000
7	संपदा की हानि के मद में	15,000
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	7,50,400

(23) अब यह विचार किया जाना है कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 7,50,400/– रूपये (सात लाख, पचास हजार चार सौ रूपये) की अदायगी हेतु कौन जिम्मेदार है। इस दावा प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन क्रमांक ''सीजी 04 जे ए 8674'' का अनावेदक क्रमांक–1 चालक व अनावेदक क्रमांक–2 पंजीकृत स्वामी व अनावेदक क्रमांक–3 बीमा कंपनी के यहां बीमित थी और दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक–1 के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेन्स था तथा वाहन भी बीमित था।

(24) अतः आवेदिकागण को देय क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी हेतु **प्रथमतः** दुर्घटनाकारी वाहन के बीमाकर्ता अनावेदक क्रमांक–3 दायित्वाधीन है तथा अनावेदक क्रमांक–1 व 2 भी उक्त वाहन के चालक व स्वामी होने के नाते प्रतिकर की राशि की अदायगी हेतु संयुक्ततः एवं पृथकतः उत्तरदायी है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक–5 के समक्ष निष्कर्ष इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 'हॉ' आवेदिकागण, अनावेदकगण से संयुक्तत : एवं पृथकतः कुल प्रतिकर की राशि 7,50,400/– रूपये (सात लाख, पचास हजार चार सौ रूपये) प्राप्त करने के अधिकारी है।

(25) आवेदिकागण ने यद्यपि इस मामले में क्षतिपूर्ति की राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है, किन्तु यह ब्याज अत्याधिक है। इसके स्थान पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवेदिका को ब्याज दिलवाना युक्तियुक्त व न्यायोचित होगा।

वादप्रश्न कमांक–5 सहायता एवं व्यय पर निष्कर्ष :–

(26) उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त यह प्रमाणित पाया जाता है कि आवेदिकागण अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा हैं। अतः आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा अंतर्गत धारा–166 मोटर यान अधिनियम 1988 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाकर स्वीकार किया जाता है और आवेदिकागण के पक्ष में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः–

(1) अनावेदकगण, आवेदिकागण को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की कुल राशि ₹ 7,50,400/– रूपये (सात लाख, पचास हजार चार सौ रूपये) आवेदन प्रस्तुति दिनांक से रकम अदायगी दिनांक तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 30 दिन के भीतर अधिकरण के खाते में जमा की जावे।

(2) अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा पूर्व मे पारित अवार्ड दिनांक 26.02.2010 के अनुसार मुआवजा राशि ₹ 4,49,000/– रूपये (चार लाख, उन्चास हजार रूपये) जमा कर दिया जाना बताया गया है। अतः उक्त राशि के समायोजन पश्चात् शेष राशि जमा की जावेगी, और उक्त जमा की गयी राशि में से वर्तमान में पारित अवार्ड की राशि के आधिक्य की राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि देय होगी।

(3) अनावेदकगण द्वारा आवेदिकागण को अंतरिम प्रतिकर के रूप में यदि कोई राशि भुगतान की गयी होगी तो उक्त राशि का मूल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजन करने के बाद शेष बचत राशि को अनावेदकगण, आवेदिकागण को अदा करेगें।

(4) अनावेदकगण द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि के पश्चात् इस अवार्ड द्वारा पारित आधिक्य की राशि मय ब्याज जमा किये जाने उपरांत, उक्त राशि में आवेदिका कं. 01 के नाम पर 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये) **पांच वर्ष** की अवधि हेतु तथा आवेदिका कमांक 02 जो कि नाबालिग है के नाम पर 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये) **बालिग होने तक** की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा रखी जावे, जिस पर वे ब्याज प्राप्त कर सकेगी, आवेदिका कं. 2 के नाम पर सावधि खाते में जमा राशि का ब्याज भी माता वली आवेदिका कं. 1 प्राप्त कर सकेगी, किन्तु उक्त सभी सावधि खाते मे कोई ऋण या अग्रिम देय नहीं होगा तथा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के पूर्व अधिकरण की अनुमति के बगैर उक्त राशि आहरित नहीं की जा सकेगी। बचत राशि में से आवेदिका कं. 3 व आवेदक कं. 4 को संयुक्ततः 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) रूपये एवं शेष बचत राशि आवेदिका कमांक–1 श्रीमती फुलेश्वरी निषाद को मय ब्याज बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।

(5) अनावेदकगण अपना स्वयं का तथा आवेदिकागण का वाद व्यय वहन करेंगे।

(6) अधिवक्ता शुल्क 1,000/– रूपये निर्धारित किया जाता है।

तदानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–
(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अति0मो0दुर्घ0दावा अधिकरण
जिला–रायपुर (छ.ग.)

सही/–
(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अति0मो0दुर्घ0दावा अधिकरण
जिला–रायपुर (छ.ग.)

स्थान–रायपुर छ0ग0
दिनांक–29/01/2018

सत्य–प्रतिलिपि

सही/–
(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अति0मो0दु0दावा अधि0,
रायपुर (छत्तीसगढ)

प्रमाण पत्र

मै पुष्टि करती हूं कि इस पी0डी0एफ0 फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन मे टंकित की गई है ।

स्टेनोग्राफर– श्रीमती प्रज्ञा साहू